

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

क्रमांक : राजस्व/खाला/25/१५

दिनांक :-13.2.25

आदेश

(अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 जनरल (कॉलोनी कंडीशन्स 8(1)RCA 1954)

प्रार्थी श्री गुरदत्त थोरी पुत्र श्री मोहन लाल जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चक 11 एमजेडी के खाता संख्या 31/28 प.न. 136/178 मु.न. 20 किला नं. 2/2/0.025, 3/2/0.025, 4/2/0.025 है.प्र. गै.मु. खाला दूरुस्त कर गै.मु. खाला के स्थान पर खातेदारी अंकन किये जाने हेतु निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पर तहसीलदार संगरिया ने अपने पत्रांक खाला/भू.अ./एल.आर./024/2298 दिनांक 20.06.2024 द्वारा चक 11 एमजेडी के प.न. 136/178 मु.न. 20 के किला नम्बर 2/2,3/2/4/2 में खाला बन्द होना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई है एवं अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़ ने अपने पत्रांक 3044 दिनांक 11.09.2024 द्वारा चक 12 एमजेडी (11 एमजेडी) प.न. 136/178 किला नम्बर 2,3,4 में खाला स्वीकृत नहीं है व न ही मौके पर चल रहा है इसलिए राजस्व रिकार्ड में खाला दूरुस्त किया जाना उचित बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई है।

अतः उक्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार संगरिया चक 11 एमजेडी के खाता संख्या 31/28 प.न. 136/178 मु.न. 20 किला नं. 2/2/0.025, 3/2/0.025, 4/2/0.025 है.प्र.में जलमार्ग गै.मु. खाला को संबधित काश्तकार के नाम नियमानुसार बकाया रकम आदि कोई शेष हो तो जमा कराने के बाद में राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।



(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

दिनांक :-13.2.25

क्रमांक :- सम/१6

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार भू-अभिलेख संगरिया को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना कर तत्काल रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें।
2. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़।
3. श्री.....।



उपखण्ड अधिकारी
संगरिया